GOVERNMENT MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, CHANDIGARH
INFORMATION TECHNOLOGY CENTRE

A copy of letter No.MCI-Computer/401/2018/143575 dated 02-11-2018 regarding Biometric Attendance received from Medical Council of India (MCI) is forwarded to the following their information and necessary action.

Endst. No. GMCH-IT-18/1839-1843 Dated : 26/11/2018

A copy is circulated to the following for information please:

1. PS to DP for kind information of Director Principal please.
2. PA to JDA for kind information of Joint Director (Admn.) please.
3. PA to MS for kind information of Medical Superintendent please.
4. All HOD's Govt. Medical College & Hospital, Chandigarh
5. Joint Medical Superintendent, Govt. Medical College & Hospital, Chandigarh

26 NOV 2018

22/11/18
HOD (IT Centre),
Govt. Medical College &
Hospital, Chandigarh

दूरभाष/Phone : 25367033, 25367035, 25367036
फैक्स /Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल /E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाइट /Website : www.mciindia.org

पॉकिट -14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – 1, New Delhi-110077

3424
16/11/18
RA
23040
15 NOV 2018

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

No. MCI-Computer/401/2018/ 143575. Date : 02/11/2018.

The matter pertains to IT centre. ~~FA~~ IT Centre

To,
The Dean/Principal,
All Medical Colleges in India.

Sub: <u>Biometric attendance through OFAMOS devices installed in the Medical Colleges under DMMP-I – compliance of provisions of Regulation of MCI.</u>

Reference: MCI-154(3)/2018/Estt./111864 dated: 29.05.2018
MCI-Computer/401/2017/149751 dated: 03.11.2017

Sir/Madam,

As you are aware that Bio-metric machine have been installed in your Medical College for capturing faculty attendance for implementation of Online Faculty Monitoring System (OFAMOS) under DMMP-I Project.

Your kind attention is invited to the amendment in "Minimum Standard Requirement for 50/100/150/200/250 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999" vide notification dated 27/01/2017, published in the Gazette of India on 30/01/2017. As per the said notification, the upkeep of the OFAMOS devices is the responsibility of the Medical College and in this regard, after installation of the biometric machines, your Medical College have submitted an undertaking (i.e. OFAMOS Installation Report) for ensuring that no physical damage occurs to the OFAMOS devices. The financial burden arising on account of registration verification of the faculty with AADHAR platform of UIDAI and the monthly rental of OFAMOS device SIM Card, shall be borne by the respective medical colleges.

The Council vide its letter dated 03/11/2017 & 29.05.2018, informed all the Medical Colleges that w.e.f. 01/12/2017 all the faculties who have been enrolled, should start marking their attendance and during the assessment of Medical College, the attendance captured through OFAMOS devices shall only be considered for count of faculties and not the manual attendance. However, in a large number of colleges these regulatory instructions have not been followed, which has been viewed seriously.

In this regard, it has been observed that the Medical Colleges are not adhering to the regulations/instructions issued by the Council vide various earlier letters issued in this regard and some of the faculties who have been enrolled, are not marking their attendance through OFAMOS devices. Further, it has been observed from the centralized OFAMOS Dashboard that many

दूरभाष/Phone : 25367033, 25367035, 25367036
फैक्स /Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल /E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट /Website : www.mciindia.org

पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – 1, New Delhi-110077

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

सं. भा.आ.प.- कंप्यूटर/401/2018/ 143575. दिनांक : 02/11/2018

सेवा में,
डीन/प्रधानाचार्य,
भारत में सभी मेडिकल कालेज

विषय: डीएमएमपी-I के अंतर्गत मेडिकल कालेजों में संस्थापित ओएफएएमओएस उपकरणों के जरिए बायोमेट्रिक उपस्थिति- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की विनियमावली के उपबंधों का अनुपालन।

संदर्भ : भा.आ.प.-154(3)/2018/स्था./111864 दिनांक 29.05.2018.
भा.आ.प.-कंप्यूटर/401/2017/149751 दिनांक 03.11.2017.

महोदय/महोदया,

जैसाकि आपको विदित है कि डीएमएमपी-I परियोजना के अंतर्गत ऑनलाइन संकाय मानीटरिंग प्रणाली (ओएफएएमओएस) के कार्यान्वयन हेतु संकाय सदस्यों की उपस्थिति प्राप्त करने के लिए आपके कालेज में बायोमेट्रिक मशीन संस्थापित की गई हैं।

आपका ध्यान, दिनांक 30/01/2017 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 27/01/2017 की अधिसूचना के अंतर्गत "प्रति वर्ष 50/100/150/200/250 एमबीबीएस दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 1999" में किए गए संशोधन की ओर आकर्षित किया जाता है। उक्त अधिसूचना के अनुसार, ओएफएएमओएस उपकरणों का रखरखाव मेडिकल कालेज की जिम्मेदारी है और इस संबंध में, बायोमेट्रिक मशीनों के संस्थापन के पश्चात आपके कालेज ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक वचन पत्र (अर्थात ओएफएएमओएस संस्थापन रिपोर्ट) प्रस्तुत किया है कि ओएफएएमओएस में उपकरणों में कोई भौतिक क्षति नहीं हुई यूआईडीएआई के आधार प्लेटफार्म और ओएफएएमओएस उपकरण सिम कार्ड के मासिक किराए के साथ संकाय सदस्यों के पंजीकरण सत्यापन के कारण उत्पन्न वित्तीय भार संबंधित मेडिकल कालेजों द्वारा वहन किया जाएगा।

परिषद् ने दिनांक 03/11/2017 और 29/05/2018 के अपने पत्रों के अंतर्गत सभी कालेजों को सूचित किया था कि 01/12/2017 से सभी संकाय सदस्यों, जो नामांकित किए गए हैं, अपनी उपस्थिति अंकित करना आरंभ करना चाहिए और मेडिकल कालेजों के मूल्यांकन के दौरान, केवल ओएफएएमओएस उपकरणों के जरिए प्राप्त की गई उपस्थिति पर ही संकाय सदस्यों की गिनती के लिए विचार किया जाएगा और मैनुअल उपस्थिति पर नहीं। तथापि, बड़ी संख्या में कालेजों ने इस विनियामक निर्देशों का पालन नहीं किया है, जिसे गंभीरता से लिया गया है।

दूरभाष/Phone : 25367033, 25367035, 25367036
फैक्स /Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल /E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट /Website : www.mciindia.org

पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – 1, New Delhi-110077

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड
BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

इस संबंध में, यह अवलोकन किया गया है कि मेडिकल कालेज, पिछले विभिन्न पत्रों के अंतर्गत इस संबंध में परिषद् द्वारा जारी किए गए विनियमों/निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और कुछ संकाय सदस्य, जिन्हें नामांकित किया गया है, ओएफएएमओएस उपकरणों के जरिए अपनी उपस्थिति अंकित नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, केन्द्रीयकृत ओएफएएमओएस डैशबोर्ड से यह अवलोकन किया गया है कि आपके कालेज परिसर में अनेक बायोमेट्रिक मशीनें ऑफलाइन हैं। अत:, आपको यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है कि सभी ओएफएएमओएस उपकरण स्विच ऑन किए जाने चाहिए और निरंतर विद्युत आपूर्ति से जोड़ा जाना चाहिए। आधार यूआईडीएआई के संशोधित दिशानिर्देशों के कारण, परिषद् संकाय के लम्बित नामांकन की रूपरेखाओं पर कार्य कर रही है। जैसे ही वह काम पूरा हो जाएगा, सभी संकायों को अपनी उपस्थिति को केवल ओएफएएमओएस उपकरण माध्यम से ही अंकित करना होगा।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, सभी मेडिकल कालेजों को पुन: निर्देश दिया जाता है, कि वे अपने संकाय सदस्यों को केवल ओएफएएमओएस उपकरणों के जरिए ही अपनी उपस्थिति अंकित करने का निर्देश दें और इसका अनुपालन न करने को "प्रति वर्ष 50/100/150/200/250 एमबीबीएस दाखिलों के लिए न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 1999" का उल्लंघन माना जाएगा। निर्देशों का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप, अनुमति के नवीकरण, मान्यता, सीटों की वृद्धि, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने या परिषद् की किसी अन्य योजना के लिए अनुमति से मना किया जा सकता है।

भवदीय,

02.11.18

(डॉ. संजय श्रीवास्तव)
महासचिव

प्रति सूचनार्थ:

1. शासी बोर्ड के अध्यक्ष के निजी सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्।
2. गार्ड फाईल।

दूरभाष/Phone : 25367033, 25367035, 25367036
फैक्स /Fax : 0091-11-25367024
ई-मेल /E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट /Website : www.mciindia.org

पॉकेट -14, सेक्टर-8, द्वारका,
फेस-1, नई दिल्ली-110077
Pocket- 14, Sector- 8, Dwarka,
Phase – 1, New Delhi-110077

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के अधिक्रमण में शासी बोर्ड

BOARD OF GOVERNORS
IN SUPERSESSION OF MEDICAL COUNCIL OF INDIA

biometric machines are offline at your college premises. You are therefore directed to ensure that all the OFAMOS devices should be switched on and connected to the continuous power supply. The council is working on modalities of the pending enrolment of faculties, due to the revised guidelines of Aadhar UIDAI. As and when the same is completed, all the faculties will have to mark their attendance through OFAMOS device only.

In view of above, all the Medical Colleges are once again directed to instruct their faculty members to mark their attendance through OFAMOS devices only and non-compliance thereof shall be treated as violation of "Minimum Standard Requirement for 50/100/150/200/250 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999". Non-compliance of instructions may lead to denial of permission for renewal of permission, recognition, increase of seats, starting of Postgraduate Course or any other scheme of the Council.

Yours faithfully,

02.11.18

(Dr. Sanjay Shrivastava)
Secretary General

Copy for information to:

1) PS to Chairman, BOG, Medical Council of India.
2) Guard File.